सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

बृहस्पतिवार, तिथि 02 श्रावण, 1947 (श०) / 24 जुलाई, 2025 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 111

(1)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	23
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	40
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	27
(4)	कृषि विभाग	07
(5)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	07
(6)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	06
(7)	सहकारिता विभाग	01
	कुल योग --	111

सुधार करना

*299. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज, अररिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के सूर्यगढा प्रखंड में श्री टुन्डा सिंह एवं श्री गोविंद प्रसाद सिंह के नाम से खतियानी जमीन है, जिसका मौजा चक सलेमपुर, थाना नम्बर-17, जमाबंदी नम्बर-04, खाता-86, खेसरा-18, रकबा-45 डिसमिल तथा जमाबंदी नम्बर-04, खाता-06, खेसरा-40, रकबा-30 डिसमिल दोनों मिलाकर 75 डिसमिल है जिसमें 45 डिसमिल बेचने के बाद खेसरा-40 में रकबा-7.5 डिसमिल तथा खेसरा-18 में रकबा-22.5 डिसमिल जमीन का ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं दिख रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अंकित जिला एवं प्रखंड में श्री टुन्डा सिंह के नाम से मौजा चक सलेमपुर, थाना नम्बर-17, जमाबंदी नम्बर-03, खाता-20, खेसरा-29, रकबा-48 डिसमिल में से 12 डिसमिल बेचने के बाद रकबा-36 डिसमिल जमीन ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं दिख रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) एवं खंड (2) में वर्णित जमीन को ऑनलाइन पोर्टल में सुधार कर अंकित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बंदोबस्ती करना

*300. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परिहार प्रखंड के महादेव पट्टी पंचायत में मठवा टोल पोखर मछली पालन हेतु मत्स्यजीवी स0स0लि0 परिहार के सदस्यों द्वारा संचालित किया जाता रहा है, जिसमें सदस्यों की संख्या 40 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2023-24, 2024-25 में मात्र तीन सदस्यों को ही जलकर बन्दोबस्ती कर दिया गया है जो नियम के विपरित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार परिहार प्रखंड के महादेव पट्टी पंचायत अन्तर्गत मठवा टोल पोखर (जलकर) की बन्दोबस्ती सभी सदस्यों के नाम से कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बोरिंग लगाना

*301. श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'' (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड को बिस्फी डीहटोल एवं रहिका प्रखंड के वार्ड नम्बर-9 सप्ता में ब्रह्मस्थान में समरसेबुल बोरिंग नहीं रहने के कारण स्थानीय लोगों को पीने का पानी को लेकर भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थानों पर समरसेबुल बोरिंग लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैण्ड का निर्माण

*302. श्रीमती वीणा भारती (क्षेत्र संख्या-44 त्रिवेणीगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत त्रिवेणीगंज प्रखंड के जदिया बाजार में बस स्टैण्ड नहीं रहने से यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार जदिया बाजार में कबतक बस स्टैण्ड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा बहाल करना

*303. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के कलेर प्रखंड के कमता पंचायत के सहाय बिगहा, कमता मठिया, मठ दलित टोला, अरवल प्रखंड के सोनवर्षा पंचायत के लक्ष्मी टोला, बन्देली बिगहा में लोग नल-जल की सुविधा से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर नल-जल की सुविधा बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण हटाना

*304. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (क्षेत्र संख्या-109 दरौंदा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर नगर परिषद् क्षेत्र के रामजयपाल रोड, अर्पणा बैंक कॉलोनी फेज-02 में गंगा सिटी अपार्टमेंट से रिबलौन रिजेंसी अपार्टमेंट तक जाने वाली सड़क, जो 40 फीट चौड़ी है, उसको स्थानीय निवासियों द्वारा चहारदीवारी का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे उक्त सड़क अबतक मात्र 10 फीट चौड़ी ही रह गई है, जिसके कारण वहाँ के निवासियों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क को अतिक्रमणमुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति करना

*305. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारसलीगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के काशीचक प्रखंड अन्तर्गत नेपुरा गाँव के दो वार्डों में जलापूर्ति 3 किलो मीटर दूर वाजितपुर गाँव के टंकी से होने के कारण हमेशा बाधित रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नेपुरा गाँव के दोनों वार्डों में बोरिंग कर जलापूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना चालू करना

*306. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा किसानों के मक्का फसल को सुखाने की थ्रेसरिंग फ्लावर जैसी योजना को बंद किये जाने के कारण किसान NH या SH जैसे महत्वपूर्ण सड़कों पर मक्का सुखाने को विवश हैं, जिसके कारण आये दिन दुर्घटनाएँ घटित होती रहती हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक थ्रेसरिंग फ्लावर जैसी योजना को पुनः संचालित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शवदाह गृह का निर्माण

*307. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-4 बगहा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिला के कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बगहा के पत्रांक 4005/न०प० बगहा, दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 के द्वारा शवदाह गृह निर्माण हेतु बगाह-1 में गंडक नदी के किनारे चिह्नित भूमि के लिये अंचलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र का माँग किया गया है, परन्तु अभीतक अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया हैं, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में कबतक शवदाह गृह निर्माण हेतु चिह्नित भूमि के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पानी उपलब्ध कराना

*308. श्री श्रीकान्त यादव (क्षेत्र संख्या-113 एकमा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड एकमा के पंचायत फुचटी कला में नल-जल का संचालन नहीं हो पा रहा है जिससे आमजन को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायत में शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निजात दिलाना

*309. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज के नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड संख्या 18 से 28 तक जल-जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे वहाँ के लगभग 5000 की आबादी प्रभावित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वहाँ की जनता को जल-जमाव की समस्या से निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा राशि का भुगतान

*310. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद में निर्माणाधीन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे पथ निर्माण हेतु भू-अर्जन में किसानों को वन प्रोजेक्ट वन रेट के अनुरूप मुआवजा राशि का भुगतान नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार प्रभावित किसानों को वन प्रोजेक्ट वन रेट के अनुरूप मुआवजा राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चकबंदी कायम रखना

*311. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर के अंचल अन्तर्गत राजस्व ग्राम-रहिमाबाद, थाना नं0-76 में वर्ष 1967 में भू-धारियों के बीच चकबंदी के पश्चात् चक खतियान वितरित किया गया है तथा चक खतियान के आधार पर भू-धारियों को दखल कब्जा दिया गया जिसमें मकान बनाया गया है और उसी आधार पर जमीन की खरीद बिक्री हुई है, परन्तु वर्ष 2018 में चकबंदी पर रोक लगा दी गई है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में वर्ष 2018 में जारी आदेश को रद्द करते हुए 1967 के चकबंदी को कायम रखने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न राजस्व ग्रामों में सर्वेक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के नियम 13(1) के तहत यह प्रावधानित है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात् उन सभी राजस्व ग्रामों में पुन: चकबंदी कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

जिसके फलस्वरूप राज्य के उन सभी राजस्व ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य समाप्ति के पश्चात् चकबंदी कार्य प्रारंभ करने की स्थिति में बिहार जोतों का समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम, 1956 की धारा 4(क) जो वर्ष 2018 में लागू किया गया था, का प्रभाव स्वत: समाप्त हो जायेगा।

व्यवस्था करना

*312. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलांतर्गत घेलाढ़, गम्हरिया एवं अंचल में हाट बाजार लगता है परन्तु मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं रहने के कारण आम आदमी को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अंचलों में लगने वाले हाट बाजार में शेड, शौचालय का निर्माण, पानी, पार्किंग की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क-सह-नाला निर्माण

*313. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पाटलिपुत्रा नगर निगम क्षेत्र में आसियाना गाँधी नगर मुहल्ला में स्थित ओमकारेश्वर हनुमान मंदिर से मधुबनपुरी कॉलोनी तक जाने वाली सड़क जीर्ण-शीर्ण अवस्था में रहने एवं नाला का निर्माण नहीं कराये जाने के कारण सड़क पर हमेशा गन्दे पानी का जमाव रहता है, जिससे आमजनों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क एवं नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल लगाना

*314. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमरांव)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण (2022-23) के अनुसार, बक्सर जिले में भूमिगत जल स्तर 10 मीटर से अधिक नीचे चला गया है जिससे नल-जल योजना के कार्यरत नहीं होने की स्थिति में नागरिकों को पीने के पानी की घोर किल्लत उत्पन्न हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए प्रत्येक वार्ड में कम-से-कम 5 चापाकल स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करना

*315. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज तथा टेढ़ागाछ प्रखण्ड में नल-जल द्वारा स्थापित पेयजल प्लान्ट के ऑपरेटर को मानदेय का भुगतान एक वर्ष से नहीं किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मानदेय भुगतान नहीं होने से ऑपरेटरों द्वारा प्लान्ट का संचालन नियमित एवं सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक ऑपरेटरों का बकाया राशि भुगतान कराते हुए प्लान्ट का संचालन निर्बाध रूप से कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*316. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा प्रत्येक जिलों में दिया जाने वाला चापाकल का पहले स्थल चयन होता है तदोपरान्त निविदा के माध्यम से चयनित स्थल पर कनीय अभियंता के देख-रेख में लगाये जाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला में वर्ष 2024-25 का 42 चापाकल बिना स्थल चयन किये निविदा कर दिया गया तथा कनीय अभियंता के देख-रेख के बिना ही घोसी प्रखंड के माधोपुर आदि गाँवों में कार्यपालक अभियंता एवं ठेकेदार द्वारा चापाकल लगा दिया गया है, जिसकी जाँच हेतु विभाग के सचिव, पटना के पत्रांक 25/25, दिनांक 20 मई, 2025 के माध्यम से जाँच एवं कार्रवाई हेतु पत्र लिखा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जाँचोपरान्त ठेकेदार एवं कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निबंधन चालू करना

*317. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बिहटा प्रखंड स्थित ग्राम-अमहारा, थाना संख्या-44, खाता सं0-734 में खेसरा सं0-2125, 2154, 2178 रैयती भूमि है, जिसका 5 वर्षों से निबंधन पर प्रतिबंध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित खाता, खेसरा की भूमि का निबंधन की प्रक्रिया को शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव से निजात दिलाना

*318. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत लहेरियासराय स्थित वार्ड सं0-38 के दिलदारगंज, बहादुरपुर, चक्जोहरा मोहल्ला में सरकारी भूमि पर पिछले सत्तर वर्ष पूर्व बना और कार्यरत जल निकासी नाला पिछले वर्ष दिसम्बर माह में असामाजिक तत्वों द्वारा बन्द करा दिए जाने से वहाँ की गलियों में घुटने तक गंदा पानी जमा हो जाने के कारण स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मोहल्ले में जल-जमाव की समस्या का समाधान कराकर यहाँ के निवासियों को नरकीय जीवन से बाहर निकालने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थापना करना

*319. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127 राजा पाकर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला सहित सम्पूर्ण बिहार में पान की खेती करने वाले किसानों के हित में सरकार की कोई विशेष योजना क्रियान्वित नहीं हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य में 'पान विकास निगम' की स्थापना कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*320. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली एवं मांझा प्रखंडों में पेयजल आपूर्ति हेतु लगाये गये सरकारी चापाकल मरम्मत के अभाव में खराब पड़े हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि पेयजल आपूर्ति हेतु कार्यपालक अभियंता, गोपालगंज को नये चापाकल अधिष्ठापन एवं पुराने के मरम्मत हेतु अनुशंसा देने के उपरांत भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु बंद पड़े चापाकलों का सर्वेक्षण कराकर शीघ्र मरम्मत एवं नये चापाकलों के अधिष्ठापन हेतु भेजे गये अनुशंसा पर त्वरित कार्रवाई कराने एवं विलंब करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सौंदर्यीकरण कराना

*321. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के प्रखंड इटाढ़ी के अन्तर्गत नगर पंचायत, इटाढ़ी अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर पंचायत, इटाढ़ी के अन्तर्गत 11 वार्ड पड़ते हैं, जिसमें अधिकांश वार्ड की गलियों में लाइट, स्वच्छ पानी की उचित व्यवस्था नहीं है साथ-ही-साथ वर्षा के दिनों में जल-जमाव के कारण गलियों की स्थिति जर्जर अवस्था में रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नगर पंचायत, इटाढ़ी का सौंदर्यीकरण हेतु गलियों में लाइट, स्वच्छ पानी, जल-जमाव एवं जर्जर गलियों का नवनिर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा निर्गत करना

*322. श्री राहुल तिवारी (क्षेत्र संख्या-198 शाहपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के अंचल बिहियां के अन्तर्गत ग्राम-दोघरा मीराचक के भूमिहीन अनुसूचित जनजाति के सदस्य लगभग 100 वर्षों से गड्ढा को भरकर अनावाद बिहार सरकार भूमि पर अपने परिवार के साथ झोपड़ी बनाकर शांति पूर्वक निवास कर रहे हैं तथा इनलोगों के द्वारा मौजा-दोघरा में खाता सं० 330, खेसरा-1563, 1567 रकबा-03 डी० जमीन का बंदोबस्ती करने हेतु अंचलाधिकारी बिहियां को आवेदन समर्पित किया गया है, लेकिन अभीतक जमीन बंदोबस्ती कर पर्चा उपलब्ध कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इन सभी अनुसूचित जनजाति परिवार की स्थल जांच कराकर पर्चा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खाद्यान्न की आपूर्ति

*323. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर, मुंगेर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला में जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को ससमय खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं होने के कारण आमजनता को ससमय राशन वितरण नहीं हो पा रहा है साथ ही खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु बहाल संवेदकों को विगत चार महीने से वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जिले में खाद्यान्न की आपूर्ति व ससमय वितरण के साथ संवेदकों को वेतन देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध जलापूर्ति करना

*324. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत प्रखंड-कोचाधामन में हर घर नल का जल निश्चय-2 योजना के तहत 100 नये पेयजल प्लांट स्थापित करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है, परन्तु प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत निविदा की प्रक्रिया अबतक नहीं होने के कारण कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है, यदि हाँ, तो सरकार निविदा की प्रक्रिया शीघ्र कराते हुये प्लांट स्थापित कर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पोर्टल पर अपलोड करना

*325. श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद (क्षेत्र संख्या-57 बैसी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के वायसी विधान सभा अंतर्गत दोनों अंचल वायसी एवं डगलआ में अंचलाधिकारी द्वारा अस्वीकृत किये गये नामांकरण वाद का भूमि सुधार उप-समाहर्ता के न्यायालय में अपील करने के लिये सत्यापित प्रति राजस्व विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं करता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पोर्टल पर प्रदर्शित करने के कारण वाद के निपटारा में महिनों का समय लग जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नामांकरण वाद को सत्यापित प्रति पोर्टल पर अपलोड करते हुये ससमय निपटारा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सत्यापित करना

*326. श्री राम सुरत कुमार (क्षेत्र संख्या-89 औराई)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत औराई, कटरा एवं अन्य कई अंचलों में चकबंदी लागू नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत अंचल औराई के मौजा हलीमपुर, थाना नंबर-96 में आजतक चकबंदी खतियान का न तो वितरण किया गया, न ही उसकी मूल प्रति अभिलेखागार में जमा है और उक्त मौजा चकबंदी अधिनियम 26(क) के अंतर्गत अधिसूचित भी नहीं किया गया है तथा दिनांक 19 जनवरी, 2018 को अधिसूचना सं० 12/चक०मि०, 09 मार्च, 2015-54/चक के तहत औराई की चकबंदी प्रक्रिया रद्द हो चुकी है परन्तु रद्द चकबंदी को गलत ढंग से जमाबंदी रजिस्टर-2 बनाकर भूमि संबंधित कार्रवाई हो रही है एवं भूमि अपर समाहर्ता के द्वारा उक्त रजिस्टर को सत्यापित भी कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी जांच कराकर इसमें संलिप्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*327. श्री अखतरुल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत अमौर प्रखंड के अधीन पंचायत के राजस्व कर्मचारी मनीष कुमार के विरुद्ध विभाग द्वारा प्रपत्र 'क' गठित होने के बावजूद भी वे अमौर अंचल में अबतक कार्यरत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तत्कालीन भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बायसी अपने ज्ञापांक 1713, दिनांक 5 अगस्त, 2024 द्वारा तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी से उनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु पत्राचार भी किया है, किन्तु फिर भी उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, जो राजस्व कर्मचारी (अधांग) अमौर पर अबतक विभागीय कार्रवाई नहीं करने क्या औचत्य है ?

पुनर्निर्माण करना

*328. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 23 अन्तर्गत विष्णु सिनेमा चौक से दिपशिखा चौक तक जाने वाली 1 कि०मी० लंबी सड़क अतिजर्जर अवस्था में रहने के कारण शहरवासियों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*329. श्री अशोक कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-92 सकरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं० 17 अन्तर्गत चाँदपुर बेला में स्व० जामुन राज जी के मकान से आनंद कुमार के मकान तक U/G drain and P.C.C Road Work हेतु निविदा आमंत्रण सूचना-23/NCD/2025 दिनांक 22 मई, 2025 जारी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजनान्तर्गत पूर्व निर्मित पी०सी०सी० सड़क को तोड़कर मलवा हटाये बिना नई सड़क का निर्माण जाने से दर्जनों मकान सड़क से नीचे हो जायेंगे, जिससे आमलोगों की कठिनाई और बढ़ जायेगी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पथ में पूर्व निर्मित पी०सी०सी० सड़क को पूरी तरह से हटाकर नई सड़क/नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*330. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि छपरा जिला के मढ़ौरा प्रखंड अन्तर्गत सलीमापुर पंचायत के ग्राम, नेथुआ में सरकारी जमीन है जिसका खाता नं०-17,84, सर्वे नं० 549,550,558,569 एवं थाना नं० 52 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सरकारी भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निजात दिलाना

*331. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर प्रखंड अंतर्गत मोर्दीबा, बाजितपुर, छतौना, विक्रमपुर बांदे, नीरपुर, केवस निजामत पंचायतों में नल-जल योजना से वंचित बसावटों में पेयजल की गंभीर समस्या होने से आमजन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो उक्त पंचायत में सरकार नल-जल योजना से वंचित बसावटों में पेयजल की समस्या का कबतक स्थाई निदान कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*332. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जी जिला के गुरूआ प्रखंड अन्तर्गत दुब्बा पंचायत के ग्राम-परसावों में लगभग 6 माह तथा फतुआचक में लगभग 8 माह से मोटर खराब रहने के कारण नल-जल की सुविधा से लोग वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुये उक्त दोनों गांव में नल-जल पूर्ण सुचारू रूप से चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*333. श्री बीरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-139 रोसड़ा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पाटलिपुत्रा नगर निगम क्षेत्र में घुड़दौड़ रोड से प्रहलाद सिंह पथ का जुड़ाव नहीं रहने के कारण दीघा एवं राजीव नगर मोहल्ला के निवासियों को पाटलिपुत्रा जं० जाने में 08 किलो मीटर की लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नगर निगम क्षेत्र में स्थित घुड़दौड़ रोड से प्रहलाद सिंह पथ को जोड़ने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्लांट का निर्माण

*334. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला मुख्यालय में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु दिनांक 28 फरवरी, 2019 को तत्कालीन मंत्री जल संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा शिलान्यास किया गया था लेकिन निर्माण हेतु विभाग द्वारा अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*335. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के तरैया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ईसुआपुर प्रखंड के डोईला में विगत 2 वर्षों से जलमीनार कार्यरत नहीं रहने के कारण पानी का संचालन सही रूप से नहीं होने के फलस्वरूप स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जलमीनार से पानी का संचालन सही रूप से करने एवं इसकी जाँच कराकर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फर्जी बंदोबस्ती रद्द करना

*336. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज अंचल कार्यालय के ज्ञापन संख्या 1835, दिनांक 16 जून, 2017 के आलोक में हल्का 4 के संबंधित मामले में एक ही परिवार के द्वारा फर्जी तरीके से मौजा बाघमारा, खमकोल, खैरखा, अम्हारा, पोटरी, डुमरिया, रंगदाहा, बेलय एवं अन्य मौजा में लगभग 89 एकड़ सरकारी भूमि का बंदोबस्ती करा लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित मामले में अंचलाधिकारी फारबिसगंज द्वारा जांचोपरांत सभी फर्जी बंदोबस्ती रद्द करने की अनुशंसा करने के बाद भी आजतक फर्जी बंदोबस्ती रद्द नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक वर्णित फारबिसगंज अंचल के लगभग 89 एकड़ सरकारी भूमि के फर्जी बंदोबस्ती को रद्द कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शवदाह गृह का निर्माण

*337. श्री अवध बिहारी चौधरी (क्षेत्र संख्या-105 सिवान)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिला मुख्यालय नगर परिषद् के वार्ड नं0 18, में सिवान कचहरी रेलवे ढाला से पश्चिम श्रीनगर खादी भंडार से दक्षिण जाने वाली सड़क (न्याय मार्ग) से होकर दक्षिण की तरफ दाहा नदी के किनारे जाती है, उक्त नदी किनारे पर शवदाह गृह (मुक्तिधाम) नहीं रहने के कारण स्थानीय जनता को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थल पर शवदाह गृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव से मुक्ति

*338. डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत छपरा शहर के स्टेट बैंक कॉलोनी में विगत वर्षों से जल-जमाव हो रहा है, जिसके कारण वहाँ संक्रामक बीमारियाँ होती रहती है, जिसकी शिकायत प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा वर्ष 2024 में दर्जनों बार नगर प्रशासन, छपरा से करने के बाद भी उक्त कॉलोनी को आजतक जल-जमाव से मुक्ति नही मिली हैं। यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कॉलोनी में हो रही जल-जमाव से मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ऑपरेटर स्थायी करना

*339. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नल-योजना के तहत ऑपरेटर की स्थायी नियुक्ति नहीं होने से पूरे क्षेत्र में पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ऑपरेटर की स्थायी नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*340. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला अंतर्गत दिघवारा अंचल के ग्राम-रामपुर आमी निवासी श्री प्रयाग सिंह के द्वारा दाखिल-खारिज वाद संख्या 285/2023-24 एवं 286आर 27/2023-24 तथा परिमार्जन संख्या 20231702011863, 20231702011864, 20231701011865, दिनांक 26 जून, 2023, एवं 20241704000233, दिनांक 4 जनवरी, 2024 द्वारा दिघवारा अंचल कार्यालय में आवेदन दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दाखिल खारिज दोनों वाद संख्या को नियम के विरुद्ध रद्द कर दिया गया तथा चारों आवेदित परिमार्जन संख्या पर दो वर्ष उपरांत भी आजतक कोई कार्रवाई नहीं, की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक इसके लिए दोषी पदाधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कर्रवाई करते हुए उक्त सभी वादों का नियमानुसार निष्पादन करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ड्रेनेज का निर्माण

*341. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला मुख्यालय नगर निगम अंतर्गत कुल 51 वार्ड हैं, परंतु एक भी वार्ड से जल निकासी हेतु ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं रहने के कारण बरसात में भागलपुर शहर जल-जमाव से त्रस्त रहता है, यदि हाँ, तो सरकार भागलपुर नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी हेतु ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*342. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्सय संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर प्रखंड में श्री रंजीत मिश्र, पिता-स्व0 शत्रुधन मिश्र, ग्राम-भरेहवा, पोस्ट-बघाड़ी के भैंस की मौत वर्ष 2024 में आग लगने के कारण हो गई थी जिसका अबतक पशु मौत पर मिलने वाला मुआवजा नहीं मिला हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक श्री रंजीत मिश्र को पशु मौत पर मिलने वाला मुआवयजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति करना

*343. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम के वार्ड नं0 27 अंतर्गत करीब पाँच हजार की आबादी वाला चिनाकोठी नामक एक दलित श्रमिकों की बस्ती है, जहाँ साफ पानी पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसके कारण इस बस्ती के गरीबों को प्रतिदिन 40-50 रुपये तक का पानी खरीद कर पीना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार तत्काल टैंकर से पीने का पानी उपलब्ध करवाकर स्थायी रूप से पीने का पानी उपलब्ध करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन मुहैया कराना

*344. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के बिहपुर विधान सभा अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड के जयपुर चूहर पूरब पंचायत के 27 महादलित परिवार गंगा कटाव से भूमिहीन हो गये हैं जिन्हें वर्ष 2012 में उक्त महादलित रोहित दास सहित 27 परिवार को सिंहपुर पश्चिम में तीन-तीन डिसमल गड्ढ़ा में जमीन दिया गया जिसमें सालों भर पानी जमा रहता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त महादलित परिवार को ऊँचे स्थान पर तीन-तीन डिसमल जमीन मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लक्ष्य प्राप्त करना

*345. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--स्थानीय हिंदी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 17 जून, 2025 को प्रकाशित शीर्षक ''गेहू अधिप्राप्ति का समय खत्म 118 एमटी खरीदारी'' के आलोक में क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे के क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला में सरकारी स्तर पर गेहू की खरीदारी विगत तीन वर्षों से निर्धारित लक्ष्य से कम हो रही है तथा इस वर्ष तीन माह की निर्धारित समय-सीमा खत्म हो जाने के बाद भी मात्र 44 किसान से ही कुल 118.100 एमटी गेहूँ की खरीदारी हुई है, यदि हाँ, तो सरकार निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन-सी कदम कबतक उठाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल उपलब्ध कराना

*346. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगाँव)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के कहलगाँव प्रखंड के ओगरी पंचायत अंतर्गत ग्राम-लदमा वार्ड संख्या 9 खरवा टोला में लगभग 100 घर एवं सन्हौला प्रखंड के फाजिलपुर सकरामा पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 1 ग्राम-सकरामा पासवान टोला में शैलेश स्थान के आस-पास लगभग 70 घर नल-जल की सुविधा से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर पेयजल की सुविधा बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ देना

*347. डॉ० संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत परबत्ता प्रखंड के अगुवानी बस स्टैंड के पास वार्ड संख्या 10 अनूसूचित जाति टोला, सियादतपुर अगुवानी वार्ड 19 ग्राम-अगुवानी, खनुआ, राका टोले में नल-जल की सुविधा नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपरोक्त वार्डों में नल-जल योजना का लाभ पहुँचाने का कार्य पूरा करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दर्जा देना

*348. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर बाजार नगर पंचायत बनने की सभी अर्हताओं को पूरा करता है, यदि हाँ, तो सरकार कल्याणपुर बाजार को नगर पंचायत का दर्जा कबतक दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पानी की टंकी लगाना

*349. मो० आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा, पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखण्ड के नेहरू चौक से थाना जाने वाले चौक के पास पानी टंकी जो 10 वर्षों से जर्जर होने के कारण शुद्ध पानी की आपूर्त्ति नहीं की जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जर्जर बंद पड़े पानी टंकी के स्थान पर नया पानी की टंकी लगाकर पानी की सप्लाई शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच करना

*350. श्री निरंजन कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-71 बिहारीगंज)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जन-वितरण प्रणाली के दुकान से उपभोक्ताओं को उसना चावल दिये जाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधान सभा क्षेत्र के बिहारीगंज प्रखण्ड के मोहनपुर पंचायत में जन-वितरण प्रणाली की दुकान से महादलित टोला के उपभोक्ताओं को माह जनवरी एवं फरवरी 2025 में अरवा चावल की आपूर्ति की गयी तथा अभी भी बिहारीगंज विधान सभा क्षेत्र में अरवा चावल का ही आपूर्ति किया जा रहा है जो नियम विरुद्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुए उपभोक्ताओं को उसना चावल की आपूर्ति कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्वीकृति देना

*351. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पूर्णियाँ मत्स्य पालन केन्द्र परिसर में नर्सरी, तालाब, मत्स्य रोग लेबोरेट्री, पानी मिट्टी जांच केन्द्र, स्टोक पोन्ड निर्मित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त परिसर में मत्स्य पालन हेतु प्रशिक्षण देने के लिए एक आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र-सह-भवन नहीं होने के कारण काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्णियाँ में आवासीय मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र भवन की स्वीकृति एवं निर्माण का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*352. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानीय हिंदी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 08 जून, 2025 को प्रकाशित शीर्षक 'घर में ही फंसे लोग, निर्माण एजेंसी को फिक्र नहीं' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना एवं अन्य जिलों के शहरी क्षेत्रों में सड़क निर्माण एजेंसियों द्वारा नगर निगम के आदेशों की अवहेलना करते हुये रोड एवं नाला निर्माण कार्य के लिए प्राय: आवासीय इलाकों के सड़कों को तय मानक से अधिक खोदकर छोड़ने एवंससमय निर्माण नहीं कराने से मुहल्ले के खासकर बुजुर्ग, महिला एवं बच्चे अक्सर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नगर निगम के आदेशों की अवहेलना करने वाले एजेंसियों एवं लापरवाही बरतने वाले विभागीय पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय का निर्माण

*353. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट (गोड़ारी) नगर पंचायत मुख्यालय में एक भी जन-उपयोगी सुलभ शौचालय नहीं है एवं पूर्व में पंचायत स्तर पर निर्मित शौचालय उपयोग के लायक नहीं है, जिससे आये दिन आमजनों एवं महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंडो का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार आमजनों एवं महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए नगर पंचायत काराकट (गोड़ारी) के मुख्यालय में आधुनिक शौचालय का निर्माण कराने विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*354. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के अरियरी प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-डीहा में नल-जल योजना का उद्‌घाटन किया गया था उस समय ग्राम-डीहा के वार्ड नं० 6 में प्राईवेट बोरिंग से पानी की जलापूर्ति कराई गई थी तथा वर्ष 2022 में विभागीय स्तर पर उक्त वार्ड में बोरिंग करायी गयी थी जिससे आजतक एक बूंद भी पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई है, यदि हाँ, तो क्या इसकी जाँच कराकर सरकार 2022 में की गई बोरिंग में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कराने का विचार विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ देना

*355. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भारत सरकार द्वारा कृषि सम्मान योजना के तहत 6 हजार रुपये प्रतिवर्ष की राशि उन्हीं किसानों को दिया जाता है, जिनके पास जमीन का रसीद हो, जबकि राज्य में पट्टा पर खेती करने वाले किसानों की आबादी 80 प्रतिशत है, जिन्हें उक्त सम्मान योजना की राशि नहीं मिल पाती है, यदि हाँ, तो सरकार पट्टा पर खेती करने वाले बटायेदार किसानों को उक्त सम्मान योजना का लाभ दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*356. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला मुख्यालय नगर निगम सहित बिहार के सभी स्थानीय नगर निकायों में हर घर नल का जल योजना के कार्यान्वयन में पक्की सड़कों को तोड़कर जल का पाइप लाइन बिछाया जाता है, लेकिन बुडको द्वारा सड़क के तोड़े हुए भाग का पुनः पक्कीकरण नहीं कर यथावत छोड़ दिया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तोड़े हुये सड़कों का पुनर्निर्माण नहीं होने के कारण आवागमन में हो रही कठिनाई के साथ-साथ सरकारी राशि की बर्बादी भी हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार टूटे हुए सड़कों का पक्कीकरण एवं संबंधित अभियंता एवं संवेदक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दर्जा देना

*357. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह एवं हसपुरा बाजार नगर परिषद् बनने की सभी अर्हताओं को पूरा करता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक गोह एवं हसपुरा बाजार को नगर परिषद् का दर्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दर्जा देना

*358. श्री मो० इसराईल मंसुरी (क्षेत्र संख्या-95 कांटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत में सफाई कर्मी के रूप में बाल्मिकी, मेहतर भंगी सहित अन्य समुदाय वर्ग के लोग कार्यरत हैं जिन्हें 7 से 8 हजार मात्र मासिक मानदेय पर ठेकेदारों के अधीन कार्य करना पड़ता है तथा उन्हें ठेकेदारों के दमन एवं शोषण का शिकार होना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सफाई कर्मियों को ठेकेदारी प्रथा के स्थान पर सरकारी कर्मी का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*359. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला अन्तर्गत प्रखण्ड अतरी एवं प्रखण्ड खिजरसराय में चापाकल मरम्मती का कार्य संवेदक द्वारा कराया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्डों में चापाकल मरम्मती का कार्य में संवेदक द्वारा एक भी चापाकल के मरम्मती में पाइप एवं सलेंडर नहीं बदला जाता है केवल वॉकेट एवं वासर लगाकर छोड़ दिया जाता है जिससे चापाकल की मरम्मती सही ढंग से नहीं हो पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों में सही तरीके से चापाकल मरम्मत करवाते हुए संवेदक पर कार्रवाई करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

हाई मास्ट लाइट लगाना

*360. श्री संतोष कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत नगर पंचायत कोचस एन०एच० 319 पर अवस्थित रहने के बावजूद भी कोचस चौक सूर्य मंदिर पोखरा, कोचस गाँव के गढ पर एवं सब्जी मार्केट सहित किसी भी वार्ड में हाई मास्क लाइट नहीं लगाया गया है जिसके कारण आमजनता को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नगर पंचायत कोचस के उक्त वर्णित स्थानों पर हाई मास्क लाइट लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*361. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला पूर्णतः कृषि पर आधारित जिला है, परन्तु मधुबनी शहर के पास कृषि उत्पादों के रख-रखाव एवं बिक्री के लिए आधुनिक बाजार परिसर उपलब्ध नहीं रहने के कारण किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार मधुबनी शहर के पास कृषि उत्पाद के व्यापार हेतु बाजार परिसर का निर्माण कबतक, कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ब्याज माफ करना

*362. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अन्तर्गत नगर पंचायत मैरवा में बकाया होल्डिंग टैक्स पर 18 प्रतिशत ब्याज जोड़कर लिया जा रहा है जिससे होल्डिंग टैक्स के बराबर ब्याज हो जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर पंचायत शहर के सीमावर्ती गाँवों को जोड़कर मैरवा नगर पंचायत का गठन किया गया है, जहाँ ज्यादातर लोग मजदूरी तथा छोटे-छोटे कारोबार कर अपना जीवन-यापन करते है एवं इस महँगाई के दौर में इतना ज्यादा टैक्स देने में गरीब लोग असमर्थ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक होल्डिंग टैक्स की वसूली में ब्याज माफ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा देना

*363. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत सिंघवारा प्रखण्ड के ग्राम-बहुआरा पंचायत-हरिहरपुर पश्चिमी, केवटी प्रखंड अंतर्गत ग्राम-बगडीहा, पथरा खिरमा, बेहटवारा, बाढ़ समैला सहित अन्य पंचायतों में तालाब या सड़क किनारे बसे भूमिहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण सरकारी लाभ से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों पर बसे भूमिहीन परिवार को जमीन उपलब्ध कराकर वासगीत पर्चा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि उपलब्ध कराना

*364. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखंड के बिगाड़ा ग्राम पंचायत के सबनपुर ग्राम की लगभग दो हजार की आबादी को ग्राम पंचायत मुख्यालय कुरूम जाने के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण सड़क नहीं है, जिसके कारण उक्त ग्रामवासियों को ग्राम पंचायत मुख्यालय जाने के लिए 50 कि०मी० दूरी तय करनी पड़ती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मुख्यालय में आवागमन हेतु सड़क निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करना

*365. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावां)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत स्थित पैक्सों द्वारा दो माह पूर्व ही धान अधिप्राप्ति के उपरांत चावल का 580 (पाँच सौ अस्सी) लॉट एस०एफ०सी० को दे चुके हैं, जिसकी कीमत लगभग 58 (अन्ठावन) करोड़ रुपये है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दो माह बीत जाने के उपरांत भी अभीतक एस०एफ०सी० द्वारा पैक्सों को कोई भुगतान नहीं किया गया है, जिससे पैक्सों को काफी कठिनाइयों के साथ-साथ अतिरिक्त सूद का बोझ भी उठाना पर रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एस०एफ०सी० द्वारा पैक्सों द्वारा पैक्सों को यथाशीघ्र भुगतान कराते हुए अतिरिक्त सूद माफ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदोन्नति देना

*366. श्री शिव प्रकाश रंजन (क्षेत्र संख्या-195 अगिआंव)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में मत्स्य विभाग के अंतर्गत मत्स्य निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालय में पदस्थापित कनीय अभियंता से सहायक अभियंता की नियमित

पदस्थापन या कार्यहित में कार्यकारी व्यवस्था के तहत् प्रभार प्रदान करने में भी मत्स्य निदेशालय द्वारा निर्गत राज्य स्तरीय वरीयता सूची के आधार पर पदोन्नति देना है, जबकि उक्त विभाग में पदोन्नति में राज्य स्तरीय वरीयता सूची जो स्थायी है के आधार पर नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विभाग में पदोन्नति मे राज्य स्तरीय वरीयता सूची जो स्थायी एवं प्रमाणित है, के आधार पर करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*367. श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के हिसुआ नगर परिषद् में अनेकों भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताएँ जैसे निविदा एन०आई०टी० नं० 04/24-25 में घालमेल, जीईएम पोर्टल से मनमाने सामग्रियों की खरीद, सफाई, सौन्दर्यीकरण, पेंटिंग ने नुक्कड़ नाटक आदि कार्य पसंदीदा एजेंसी को आवंटित करना प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में अनियमियतता कार्यपालक पदाधिकारी श्री अतीश रंजन द्वारा करवाया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि हिसुआ नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी के पूर्व के पदस्थापन स्थल कटोरिया, बाँका में इनके विरुद्ध लगे वित्तीय अनियमितताओं के अरोपों की जिलाधिकारी, बाँका की जाँच रिपोर्ट पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हिसुआ नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी श्री अतीश रंजन पर जाँच कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*368. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज नगर पंचायत के पुरनी सरैया में जल निकासी हेतु नाला नहीं रहने के कारण पूरा मोहल्ला बरसात में जलमग्न हो जाता है, जिससे आमजनता को आवागमन में भीषण संकट का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक, पालीगंज नगर पंचायत के पुरली सरैया में जल निकासी हेतु नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति करना

*369. श्री आनन्द शंकर सिंह (क्षेत्र संख्या-223 औरंगाबाद)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत अमृत योजना फेज 2 में औरंगाबाद नगर परिषद् में पेयजल की समस्या से जूझ रहे वार्डों को सोन नदी से जल आपूर्ति की जानी है तथा निविदा प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, परन्तु संवेदक द्वारा कार्यों में शिथिलता के कारण लोगों को अभीतक जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार पेयजल आपूर्ति शीघ्र कराने का विचार रखती है, नही, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*370. श्री मिथिलेश कुमार (क्षेत्र संख्या-28 सीतामढ़ी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड नं० 11 के सर्वे नं० 142 एवं 143 पी०आई०डी० संख्या 243/ए० पर डॉ० अनिता सिंह, पति-डॉ० संजय सिंह द्वारा निगम के अनुमति के बगैर एवं बिना नक्शा पास कराये भवन निर्माण किया जा रहा है, साथ ही पड़ोसी हिमांशु कुमार की जमीन को भी अतिक्रमण किया गया है जिसके संबंध में पीड़ित परिवार के अभिभावक मनोज कुमार द्वारा जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को विगत 6 माह पूर्व आवेदन दिया गया है लेकिन आजतक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अवैध निर्माण के विरुद्ध कबतक कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*371. श्री सुरेन्द्र राम (क्षेत्र संख्या-119 गरखा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत अंचल अधिकारी, छपरा सदन के जमाबंदी पुनर्जीवित अभिलेख संख्या 25/23-24 में जो लगान रसीद जमा किया गया है उसमें जमाबंदी संख्या 22 अंकित है लेकिन राजस्व कर्मचारी द्वारा दाखिल-खारिज मुकदमा संख्या 5318/2022-23 में जमाबंदी संख्या 512/2840 बताया गया है तथा अपर समाहर्ता (राजस्व) सारण के पत्रांक 1854, दिनांक 29 जून, 2024 द्वारा इस संबंध में आदेश पारित किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुल का निर्माण

*372. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिलान्तर्गत नगर परिषद् शेरघाटी के वार्ड संख्या 18-19 अवस्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के समीप लगभग 50 वर्ष पूर्व निर्मित पुलिया/नाला का मुहाना अत्यधिक संकीर्ण रहने के कारण प्राय: नालियों का गंदा पानी अधिकांशत: घरों में चला जाता है, जिससे वहां के निवासियों में बिमारियां फैलने की आशंका व्याप्त रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जनहित में उक्त स्थल पर नये पुल का निर्माण करवाने का विचार करती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त करना

*373. श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-179 बाढ़)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला मुख्यालय के बेली रोड पर स्थित आई०सी० होण्डा शोरुम के बगल से विजय नगर मुहल्ला जाने वाली सड़क में पटेल चौक के पास रोड नं० 7 जो 16 फीट चौड़ी सड़क है, उस सड़क को मिथिलेश सिंह के घर के पास श्रीमती सरोज देवी, श्री देवेन्द्र प्रसाद एवं अन्य के द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे वाहनों के आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क को अतिक्रमण मुक्त करते हुये आवागमन सुचारू रूप से संचालित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शवदाह गृह का निर्माण

*374. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरियाकोठी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अन्तर्गत नगर पंचायत बंसतपुर में एक भी शवदाह गृह नहीं है, जिससे स्थानीय लोगों को मृत व्यक्तियों की अंत्योष्टि में

कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नगर पंचायत बसंतपुर के वार्ड संख्या 03 में बंसतपुर मठिया घाट पर शवदाह गृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति करना

*375. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत पोठिया प्रखंड के गोरूखाल पंचायत के वार्ड नं० 5, 7, 8, 11, 12 एवं 13 में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नल-जल योजना कार्य अभीतक पूर्ण नहीं कराया गया है जिसके कारण अबतक सुचारू रूप से जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे ग्रामीण इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थानों में नियमित रूप से जल की आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्जा दिलाना

*376. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर, नालन्दा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्लामपुर एवं एकंगरसराय प्रखंड के क्रमश: 261 एवं 291 भूमिहीन परिवारों को पाँच-पाँच डिसमिल जमीन का पर्चा दिया गया है, जिसमें से मात्र 40 प्रतिशत लाभुकों को ही अभीतक जमीन पर दखल-कब्जा दिलाया गया है जिससे शेष पर्चाधारी में रोष व्याप्त है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक शेष बचे पर्चाधारी भूमिहीनों को जमीन पर दखल-कब्जा दिलाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध जलापूर्ति करना

*377. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड एवं सोनबरसा प्रखंड में वाटर लेवेल बहुत नीचे चला गया है, लोग नल के जल पर ही आश्रित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि परिहार प्रखंड के सुतिहारा वार्ड नं० 11, फुलहटा वार्ड नं० 4 धरहावा वार्ड-3, 7 पीपरा विशनपुर वार्ड नं० 3, पकड़िया वार्ड नं० 4, 6 तथा सोनबरसा प्रखंड के कचहरीपुर 9, 12, 13, 14, 15 दोस्तियां वार्ड नं० 9, सिंगवाहनी वार्ड नं 2, 6 में लोगों को नल का जल नहीं मिल पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त वार्डों के लोगों को शुद्ध नल का जल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

किराया बढ़ाना

*378. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुल्तानगंज)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2225, दिनांक 24 अगस्त, 2013 एवं स्वीकृत आदेश सं० 1412, दिनांक 14 जून, 2013 के आलोक में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, शेरगढ़, प्रखंड-गोगरी जमालपुर, जिला-खगड़िया की स्थापना की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकारी भवन नहीं रहने के कारण निजी मकान में पशु

चिकित्सालय संचालित किया जा रहा है, जिसका किराया 12 वर्षों से नहीं बढ़ाया गया है, जबकि प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा इस संबंध में विभाग को पत्राचार किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त निजी मकान में संचालित पशु चिकित्सालय के भवन का किराया बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कोल्ड स्टोरेज का निर्माण

*379. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में सरकारी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखण्ड अन्तर्गत मोतीपुर में वृहद सब्जी मंडी है, जहां कोई सहकारी कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण किसानों को सब्जियों के समुचित मूल्य पर भंडारण एवं संरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं है जिससे उनको आर्थिक क्षति होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त सब्जी मंडी के निकट एक सरकारी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार करना

*380. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला में कृषि बाजार समिति हुलासगंज बाजार के बीचो-बीच जीर्ण-शीर्ण स्थिति में अवस्थित है, जहां कचड़ों का अंबार लगा रहता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बाजार समिति में किसी भी उत्पाद का खरीद-बिक्री नहीं होता है फिर भी बाजार समिति की निविदा के नाम पर समिति क्षेत्र से बाहर यत्र-तत्र फल-सब्जी बेचने वालों तथा सड़क पर चलने वाली गाड़ियों से टैक्स उगाही की जाती है, जिसे प्रशासन भी जायज मानती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त बाजार समिति का जीर्णोद्धार करने तथा समिति क्षेत्र से बाहर टैक्स वसूली पर रोक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच लैब खोलना.

*381. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127 राजा पाकर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के सभी प्रखंड पशुपालन अस्पतालों में जानवरों की बिमारियों की जाँच लैब की व्यवस्था नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जाँच लैब के अभाव में पशुओं की बिमारियों का सही से इलाज नहीं होने के कारण प्रदेश को पशुधन की हानि झेलना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार के सभी प्रखंडों के पशुपालन अस्पतालों में जानवरों की बिमारियों की पहचान के लिये जाँच लैब खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार करना

*382. श्री राम सूरत कुमार (क्षेत्र संख्या-89 औराई)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कटरा प्रखण्ड के यजुआर पूर्वी, यजुआर पश्चिमी, यजुआर मध्य एवं लखनपुर पंचायत के आस-पास के गाँवों में अप्रैल से जुलाई महीने तक प्रत्येक वर्ष सुखाड़ होने के कारण चापाकल सुखने के साथ लेयर नीचे चला जाता है तथा उक्त पंचायत में बड़े एवं छोटे जल मीनार है जो 90 प्रतिशत बंद है जिसके कारण आमजनता को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त क्षेत्र में शुद्ध पेयजल हेतु स्थाई व्यवस्था एवं पुराने जलमीनार को कबतक सुदृढ़ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बीमा का लाभ देना

*383. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगुसराय)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा नगर निकाय जन-प्रतिनिधियों को मिलने वाले भत्ते काफी कम है साथ ही उनका हैल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार के द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है, साथ ही सामान्य रूप से मृत्यु होने पर 05 लाख उनके परिवार को दिये जाने का निर्णय लिया गया, जबकि नगर निकाय जन-प्रतिनिधयों के भत्ते एवं अन्य सुविधा को यथावत ही रखा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक पंचायत प्रतिनिधियों के आधार पर ही नगर निकाय जन-प्रतिनिधियों के भत्ते में बढ़ोतरी एवं हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

समय सीमा बढ़ाना

*384. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरुआ)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 15 जून, 2025 तक सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति का समय सीमा निर्धारित किया गया था जो समाप्त हो चुका है,

(2) क्या यह सही है कि राज्य में धान अधिप्राप्ति का कार्य पैक्सों/व्यापार मंडल द्वारा कराया जाता है, जिसे बैंकों से ऋण दिया जाता है जिसमें सरकार द्वारा मात्र 15 दिनों का ब्याज की राशि दिया जाता है, जबकि पैक्सों द्वारा सी०एम०आर० जमा करने के पश्चात् 01 से डेढ़ माह तक एस०एफ०सी० द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है जिससे पैक्सों पर सूद की राशि का अतिरिक्त बोझ के कारण पैक्सों को हानि उठानी पड़ती है,

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सी०एम०आर० का समय सीमा बढ़ाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*385. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया) क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के तरैया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत तरैया मुख्यालय में विगत 2 वर्षों से जलमीनार कार्यरत नहीं रहने के कारण पानी का संचालन सही रूप से नहीं

होने के फलस्वरूप स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जलमीनार से पानी का संचालन सही रूप से करने एवं इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*386. श्री अवध विहारी चौधरी (क्षेत्र संख्या-105 सीवान)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत सीवान प्रखंड के पंचलखी पंचायत का विकास का कार्य सीवान सदन प्रखंड से होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पचलखी पंचायत का राजस्व का कार्य मैरवा अंचल से होता है जबकि पचलखी से मैरवा की दूरी 22 किमी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पचलखी पंचायत के राजस्व का कार्य मैरवा अंचल से अलग कर सीवान सदर अंचल में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला की सफाई

*387. डॉ० सी०एन०गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत छपरा शहर के वार्ड नं० 24 से समाहरणालय होते स्वराज एजेंसी के पास खनुआ नाला का पानी गिरता है, उक्त नाला का अतिक्रमण और सफाई नहीं होने के कारण बरसात सहित अन्य दिनों में पानी सड़क पर जमा हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नाला की सफाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ऋण माफ करना

*388. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 बिभुतिपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर विधान सभा क्षेत्र के किसान के० सी० सी० लोन लेकर खेती करते आ रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत चार वर्षों से ओलावृष्टि, असमय बरसात एवं बाढ़-सुखाड़ से किसानों की खेती नष्ट होने के कारण किसान के०सी०सी० लोन चुकता करने में असमर्थ हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक किसानों का के०सी०सी० लोन माफ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अंडरग्राउंड वायरिंग करना

*389. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत भागलपुर नगर निगम में स्मार्ट सिटी के तहत चयनित 15 वार्डों के सभी बिजली पोलों को हटाकर अंडरग्राउंड वायरिंग करना था, परन्तु भागलपुर स्मार्ट सिटी एरिया में वायरिंग अंडरग्राउंड नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार भागलपुर स्मार्ट सिटी एरिया के अंतर्गत पड़नेवाले बिजली पोलों को हटाकर अंडरग्राउंड वायरिंग के माध्यम से बिजली आपूर्ति कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?

पर्चा देना

*390. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुरसंड प्रखंड के कुम्मा पंचायत के वार्ड संख्या 4 में खाता संख्या 1022, खेसरा 2819, व 2820, रकबा 4डी0 बिहार सरकार की जमीन है तथा इस सरकारी जमीन पर 70 वर्ष पूर्व से भूमिहीन परिवार मकान बना कर रह रहे हैं यदि हाँ, तो सरकार उक्त जमीन पर रहने वाले भूमिहीन परिवार को उक्त जमीन का पर्चा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*391. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत अंचल औराई के मौजा हलीमपुर थाना नं0 96 में आजतक कचबंदी खतियान का वितरण नहीं किया गया और न ही चकबंदी खतियान मुजफ्फरपुर अभिलेखागार में जमा किया गया तथा हलीमपुर मौजा चकबंदी अधिनियम की धारा 26क के तहत अधिसूचित भी नहीं है एवं दिनांक 19 जनवरी, 2018 को अधिसूचना संख्या 12/चक0मि0 09/03/15-54 चक के माधयम से बिहार चकबंदी अधिनियम, 1956 की धारा, 3(1) के अंतर्गत औराई की चकबंदी प्रक्रिया रद्द की जा चुकी है फिर किस प्रकार वहाँ राजस्व अधिकारी द्वारा जमाबंदी रजिस्टर पार्ट 2 बना कर अवैध कार्य कर रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कबतक कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल उपलब्ध कराना

*392. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के गोराडीह प्रखंड के मुरहन जमीन पंचायत के वार्ड नं0 6 अंतर्गत ग्राम-बडी जमीन मंडल टोला एवं इसके आस-पास के 80 घरों में एवं मुरहन वार्ड संख्या 8 के 70 घरों में नल का जल नहीं पहुँचता है, जिससे उक्त इलाके में पेयजल की गंभीर समस्या है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त इलाके में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा देना

*393. डॉ0 संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अभियान बसेरा 2 के तहत भूमिहीन परिवार को सरकार वासगीत पर्चा का वितरण कर रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के गोगरी प्रखंड के पैंकात पंचायत विरवास ग्राम में कटाव से पीड़ित भूमिहीन परिवारों सहित परबत्ता प्रखंड के सौढ उत्तरी पंचायत के सतीश नगर में 54 परिवार जो कि एन0एच0 31 और रेलवे के बीच बांध पर बसे हैं, साथ ही राजपूत टोला नयागांव नगर पंचायत क्षेत्र इंदिरा नगर रूपौली के सैकड़ों परिवारों को अबतक जमीन का पर्चा नहीं मिला है, जिससे इन्हें कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक इन परिवारों के बीच पर्चा वितरण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार करना

*394. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चम्पारण अंतर्गत प्रखंड कोटवा (Kotwa) के मच्छरगांवा पंचायत में फतुहां (मच्छरगांवा) राजस्व कचहरी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिस कारण स्थानीय स्तर पर राजस्व से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने में असुविधा होती है, यदि हाँ तो सरकार उक्त वर्णित राजस्व कचहरी को जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार करना

*395. मो0 आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा, पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है पूर्णियाँ जिलान्तर्गत जलालगढ़ प्रखंड में बना जलमीनार विगत 10 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है और पाइप लाइन भी जर्जर हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जलमीनार को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*396. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानी हिंदी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 18 जून, 2025 को प्रकाशित शीर्षक ''गंगा से 33 प्रजाति की मछलियाँ विलुप्त होने के कगार पर'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार के गंगा जिले के नदी में वर्ष 2007 से 2009 के बीच हुए शोध में पटना जिला के त्रिवेणी घाट, गाय घाट, घघा घाट और दीघा घाट के बीच 36 कि0 मी0 में जीव विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष के द्वारा सर्वे किया गया था जिसमें मछली की 106 प्रकार प्रजातियाँ थी। जबकि पिछले 2 वर्ष पूर्व चले शोध में 73 प्रजाति की मछलियाँ पाई गयी है तथा 33 प्रजाति की मछलियाँ विलुप्त हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार विलुप्त हो रही प्रजाति की मछलियों को बचाने हेतु कौन-कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*397. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत केसठ राजवाहा-1, बिक्रमगंज नगर परिषद् क्षेत्र में घनी आबादी के बीचों-बीच तेन्दूनी चौक एवं ढीबरा मुहल्ला होते हुए गुजरती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि केसठ राजवाहा-1 के उपर स्लैब/ढलाई नहीं होने के कारण शहर का सारा कचरा उसमें भरते जा रहे हैं जिससे इलाके के खेतीहर भूमि को पटवन के लिए पर्याप्त पानी नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण वहाँ पटवन की प्रबल समस्या बनी रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इलाके के खेतीहर भूमि को पानी पहुँचाने एवं पटवन की समस्याओं से निजात दिलाने हेतु केसठ राजवाहा-1 के ऊपर स्लैब अथवा ढलाई का कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करना

*398. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ज्ञापांक 78, दिनांक 30 अप्रील, 2025 विभागीय संकल्प सं० 2523, दिनांक 19 मई, 2015 के आलोक में राज्य के 88 नगर परिषदों के सभापति/उप-सभापति तथा सभी वार्ड पार्षदों को प्रतिमाह नियत भत्ता भुगतान हेतु वर्ष 2025-26 में 6,49,08,000 रु०(छ: करोड़ उनचास लाख आठ हजार) अनुदान के रूप में राशि स्वीकृत की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर परिषद्, शेखपुरा में वर्ष 2017-2022 तक कुल 27 वार्ड में जन-प्रतिनिधि चुने गये थे, जिन्हें नवम्बर, 2020 में मात्र एक साल का एवं सितम्बर, 2024 में छ: माह का भत्ता भुगतान अबतक हो पाया है तथा अभी भी जन-प्रतिनिधियों का 3-1/2 वर्षों का भुगतान लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वर्णित संकल्प के आलोक में नगर परिषद्, शेखपुरा के जन-प्रतिनिधियों को शेष राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा दिलाना

*399. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना के बुद्ध मूर्ति, सेवरी नगर, (रूकनपुरा नहर), अंबेडकर नगर (दानापुर नहर), फुलवारीशरीफ के कन्हैया नगर अंबेडकर नगर, नहरपुरा (फुलवारीशरीफ), भीखा चक (पटना सदर) में बसे महादलित परिवारों को झोपड़ी एवं खुले आसमान में अपना गुजारा कर रहे हैं, जिससे उन्हें आवास एवं बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्जित स्थलों को चिन्हित करते हुये स्थाई पक्के मकान की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*400. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला मुख्यालय में विभागीय बस स्टैण्ड का उद्घाटन वर्ष 2016 में ही हो चुका है, लेकिन आजतक वहां से बसों का परिचालन नहीं हो पाया है, जिसके कारण कटिहार शहर में यत्र-तत्र बसों का पड़ाव अस्थाई तौर पर होता है, यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा ट्रैफिक व्यवस्था भी काफी चरमरा गई है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त उद्घाटित बस स्टैण्ड से बसों का परिचालन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*401. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह प्रखंड के ग्राम पंचायत बनतारा के श्रीमती अनवरी खातुन एवं हसपुरा प्रखंड के अहियापुर पंचायत के ग्राम-महुआरी के श्री कृष्णा यादव द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय, के नाम अपनी जमीन दान करने के लिये वर्ष 2003 में कागजात जमा किया गया ताकि सरकारी भवन का निर्माण हो सके परन्तु पदाधिकारियों द्वारा बार-बार कागजात में कमी बताकर अभीतक जमीन महामहिम राज्यपाल के नाम नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुये यथाशीघ्र जमीन माननीय राज्यपाल महोदय के नाम करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फ्लाई ओवर का निर्माण

*402. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी शहर में आबादी का घनत्व काफी अधिक रहने तथा फ्लाई ओवर नहीं रहने के कारण सड़क जाम की समस्या रहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा मधुबनी शहर के बीचोबीच एक फ्लाई ओवर के निर्माण की मांग विगत 10 वर्षों से की जा रही है, परंतु अभीतक उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मधुबनी शहर को जाम से निजात दिलाने के लिये एक फ्लाई ओवर का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण हटाना

*403. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रखंड पूसा पंचायत दक्षिणी हरपुर वार्ड सं०-6 महादलित टोला में महादलित सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण हेतु सरकारी जमीन, थाना नं०-6 खाता संख्या-276, खेसरा संख्या-1772, रकबा-35 डिसमिल का चयन कर अंचलाधिकारी, पूसा ने एन०ओ०सी० दिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभियंता द्वारा निरीक्षण के दौरान अतिक्रमणकारी द्वारा सामुदायिक भवन के निर्माण का विरोध करते हुये उक्त जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनाज उपलब्ध कराना

*404. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत सिंघवाड़ा प्रखंड के कलिगांव पंचायत में 100 से अधिक उपभोक्ताओं का राशन कार्ड बनकर छः महीने पहले प्राप्त हो चुका है, लेकिन पौस मशीन पर नाम अपडेट नहीं रहने के कारण उन्हें अभीतक डीलरों के द्वारा अनाज नहीं दिया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त राशन कार्डधारियों को अनाज उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों

दोषी पर कार्रवाई

*405. श्री शिव प्रकाश रंजन (क्षेत्र संख्या-195 अगिआंव)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत नगर पंचायत, गड़हनी में विभागीय पदाधिकारियों के मिलीभगत से कार्यरत बल से ज्यादा सफाई कर्मी दिखाकर राशि की निकासी की जाती है, साथ ही सफाई कर्मियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति भी दर्ज नहीं करायी जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सफाई कर्मियों को नियमित और तय वेतन नहीं दिया जाता, साथ ही ई०पी०एफ० के लाभ से भी वह वंचित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*406. श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के हिसुआ नगर परिषद् में आउटसोर्सिंग कर्मियों की समयाधि समाप्त होने के बावजूद उन्हें अवैध रूप से कनीय अभियंता, सामुदायिक समन्वयक, कर-संग्रहक, टैक्स दारोगा, प्रधान लिपिक आदि पदों पर बरकरार रखते हुये महत्वपूर्ण प्रभार देकर अवैध वसूली करवाया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि हिसुआ नगर परिषद् में विभागीय पत्रांक 3810 द्वारा पदस्थापित कनीय अभियंता श्री सुभाष कुमार को रजौली स्थानांतरित करवाकर आउटसोर्सिंग कर्मी श्री सुबोध कुमार जिसकी सेवा समाप्त हो चुकी है को अनुचित लाभ के लिए कनीय अभियंता का अवैध प्रभार दिया गया है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हिसुआ नगर परिषद् में हुई अवैध नियुक्तियों की जाँच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*407. श्री आनन्द शंकर सिंह (क्षेत्र संख्या-223 औरंगाबाद)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के सदर अंचल में अंचलाधिकारी का पद पिछले एक वर्ष से रिक्त है और प्रभार में कार्य चलाये जाने से आमजनता के जमीनों का परिमार्जन, दाखिल-खारिज आदि के कार्य 6-6 माह तक लंबित रहता है तथा मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजनाओं में एन०ओ०सी० 6-6 माह तक लंबित रहता है, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन ससमय नहीं हो पाता है और विकास कार्य प्रभावित होता है, यदि हाँ, तो सरकार औरंगाबाद सदर अंचल में पूर्णकालिक अंचलाधिकारी का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*408. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिलान्तर्गत प्रखंड डोभी में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निर्माण हेतु पंचायत-खरांटी एवं कुरमावा में कृषकों की रैयती भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है जिसमें अधिकांशत: कृषकों की सारी भूमि अधिगृहित होती जा रही है एवं

अधिकृत जमीन के एक ही प्रकार का मुआवजा राशि किसानों को दिया जा रहा है जिससे किसान कई महीनों से आंदोलित हैं, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुय जमीन के विभिन्न प्रकार के अनुरूप किसानों को मुआवजा राशि देने का विचार विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*409. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर, नालन्दा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्लामपुर प्रखंड के वौरी सहित छः ग्रामों में मगही एवं बनारसी पान की खेती करने वाले किसानों का वर्ष 2024 में आयी आंधी एवं ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति की मुआवजा राशि के भुगतान हेतु प्रखंड एवं जिला वागवानी पदाधिकारी द्वारा प्रति कृषक से नाजायज राशि की वसूली की जा रही है, साथ ही संबंधित कागजातों में बदलाव कर अवैध किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इसकी जाँच करते हुए वैध किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 24 जुलाई, 2025 (ई०)।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि०स०मु० - 18 (एल०ए०), 2025-26 डी०टी०पी० -600

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2025